हीरे जवाहरात का क्रय-विक्रय

इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इण्डिया का अटठाईसवां फ़िक्ही सेमीनार हिन्दुस्तान के मेवात के बड़े दिनी शीक्षा केन्द्र दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला भरतपुर, राजस्थान में दिनांक 17 से 19 नमम्बर सन् 2018 ई0 8-10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी को आयोजित किया गया, जिसमें बाहरी देशों में क़तर, साउथ अफ्रीक़ा, ईरान अफगानिस्तान और बंगला देश के अतिथियों के अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग तीन सौ उलेमा, मुफ्तीयों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, इस तीन दिवसीय संगोष्ठी में चार महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, इन विषयों पर विचार-विमर्श खोज एवं अनुसंधान के बाद जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए वह निम्नलिखित हैं:

1- ब्रोकर अमानतदार होता है अतः इसके लिए उचित नहीं है कि ख़रीदार को धोखा देते हुए कोई राशि अपनी निर्धारित फीस के अतिरिक्त राशि ले। ब्रोकर जिसके लिए काम कर रहा है। उसे बतलाने के बाद खुद अपने लिए ख़रीद सकता है। अतः बेचते समय ख़रीदार के सामने अपनी सामार्थ्य को भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है।

3- ब्रोकर के लिए बनावटी ख़रीदार तैयार करके बिक्रेता से कम मूल्य में लेकर वास्तवकि ख़रीदार को अधिक मूल्य में बेचना उचित नहीं है।

4- जिस बाजार में उचित एवं अनुचित दोनों तरह के माल बिकते हों, उस बाजार से माल ख़रीदना उचित है जब तक कि विश्वास सूत्रों पर यह न जानकारी हो कि वह चोरी का है।

5- ख़रीदार को अगर बेचने वाले की बात पर विश्वास हो कि वह चोरी का माल नहीं है तो उससे माल ख़रीदने में शरीअत के अनूसार कोई आपत्ति नहीं है।

6- उधार ख़रीदकर क्रय वस्तु पर क़ब्ज़ा करने के बाद लाभ के साथ बेचना उचित है।

7- क्रय-विक्रय का मामला पूरा करने से पहले दूसरे के हाथ बेचना वैध नहीं है, अतः वचन दे सकता है।

8- ब्रोकर या किसी व्यक्ति का उचित भुगतान राशि की परची को कम मूल्य में ख़रीदना उचित नहीं है।

9- सामान की मुल्य का भुगतान करने के लिए सामान्य अवस्था में व्याज पर ऋण लेना या दूसरों के ऋण का भूगतान के लिए व्याज पर ऋण लेना उचित नहीं है।

10- सामान ख़रीदने के बाद बेचने वाले की सहमति से मूल्य कम कराना ख़रीदार के लिए उचित है, लेकिन झूठ बोलकर और धोका देकर ऐसा करना उचित नहीं है।

11- जो सामान त्रुटि व दोष से खाली हो, ऐसे सामान के अन्दर ख़रीदते समय त्रुटि व दोष निकालकर कम पैसे में ख़रीदना शरई व व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। इसी तरह किसी वस्तु में विशेषताएं नहीं हैं, वह विशेषताओं को वर्णित करके अधिक मूल्य में बेचना भी उचित नहीं है।

12- माल तैयार कराने वाला अगर सस्ते माल की मांग करे और उसकी तैयारी में मिलावट की आवश्यकता पड़े तो व्यापारियों के नाम वस्तु में जिस मात्रा में मिलावट मालूम व प्रसिद्ध हो उतनी मात्रा की मिलावट की सम्भावना है। अतः अधिक मिलावट की अवस्था में उस से सूचित करना आवश्यक है।

13- शरीयते इस्लामी में लाभ का कोई सन्तुलन निर्धारित नहीं है आपसी सहमति से जो भी मूल्य तय हो जाये वह सही है। अतः बजार में प्रचलित मूल्य से अधिक लेना इस्लामी शरीयत के विरुद्ध है।

14- क्रय-विक्रय के समय ही डिस्काऊन्ट (छूट) निर्धारित हो जाये या इसका चलन व प्रथा हो तो ख़रीदार को शर्त और लाभ के अनुसार डिस्काऊन्ट के मांग का अधिकार है। अगर उसका चलन न हो और न ही निर्धारण के समय ऐसी शर्त लगाई गयी हो तो ख़रीदार डिस्काऊन्ट की मांग नहीं कर सकता। अतः बेचने वाला खुद डिस्काऊन्ट कर दे तो कोई रोक नहीं है।

15- जो सामान बनवाया गया हो अगर इसके तय शुदा गुणवत्ता में कमी रह जाती है और सामान बनवाने वाला वह सामान प्राप्त कर लेता है तो मूल्य की मात्रा में व्यापारियों का चलन लागू होगा।

16- किसी गोप्नीय भलाई के अन्तगर्त मूल्य कम लिखने में हानी नहीं, बशर्ते कि क्रेता एवं विक्रेता इस लिखी हुई मूल्य का आश्य अच्छी तरह समझते हों।

17- आभूषण बनाते समय जो बहुमुल्य कण कारीगर के पास रह जाते हैं, वास्तव में वह बनवाने वाले के हैं। लेकिन अगर किसी स्थान या क्षेत्र में इसको कारीगर का परिश्रम या परिक्रम का भाग समझा जाता हो, तो कारीगर के लिए इसको रखना उचित है।

18- क़ीमती पत्थरों को पिरोने वाले धागे अगरचे कमवज़न के हों लेकिन आपसी सहमति से इनको अधिक वज़न के स्तर पर रखकर मूल्य का निर्धारण कर लिया जाये तो यह उचित है।

19- दबाव बनाकर वास्तविक भार से कम लिखवाना शरअन उचित नहीं है। अतः अगर व्यापारियों के चलन में कुछ मात्रा का मूल्य न लगाई जाती हो तो इसके अनुसार मूल्य कम करके लिखने की क्षमता है।

20- व्यापारी के लिए ग़लत सूचना से काम लेते हुए निर्धारित मूल्य से कम भुगतान करना शरअन अनुचित है और इस पर आवश्यक है कि पूरे मूल्य का भुगतान करे, चाहे पर्ची पर किसी मसलेहत (कारणवश) से कम मूल्य लिखा गया हो।

21- नगद व उधार के आधार पर मूल्य की कमी व वृद्धि शरअन उचित है। बशर्ते कि क्रेता एवं विक्रेता विक्रय के समय एक मूल्य पर सहमति हो जायें।

22- उधार क़र्ज़ अगर जल्द अदा कर दिया जाये तो उसका कुछ भाग छोडना इस समय उचित होगा जबकि ये छोडना नगद के बदले के तौर पर शर्त पर आधारित न हो बल्कि उपहार के रूप में हों

23- घटिया हीरे को अच्छा हीरा बना कर बेचना उचित नहीं है, और अगर बेच दिया गया तो जब तक वह हीरा ख़रीदार की सम्पति में उपस्थित हो, तो उस समय तक मूल्य कम कराने का अधिकार नहीं। अतः मामला समाप्त करके अपना पैसा वापिस लेने या पुनः नये रूप से मामला करने का अधिकार होगा, अर्थात अगर इस हीरे में कोई ऐसी दशा उत्पन्न हो जाये कि वापिस करना सम्भव न हो तो हानि के बराबर मूल्य कम कराने का अधिकार होगा।

24- वास्तविक हीरे की जगह रसायन के द्वारा बनाया गया हीरा ;ब्टक्द्ध दे दे, तो सामान को वापिस करके ख़रीदार को पूरी राशि वापिस लेने का अधिकार है।

25- कोई सामान ख़रीद कर किसी दूसरे को इसका कुछ भाग किसी भी निर्धारित मूल्य पर बेचकर इसको सम्मिलित कर लेना उचित है।

26- ख़रीदने से पहले किसी से हिस्सेदारी का विषय करना जायज़ नहीं है। बल्कि हिस्सेदारी का वचन दे सकता है।

☆☆☆

नोटः 28वां फ़िक़्ही सेमीनार 8 से 10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी दिनांक 17 से 19 नवम्बर सन् 2018 ई0 जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला, राजस्थान।